

कृषि विभाग से अनुदान प्राप्त हेतु प्रार्थना पत्र वर्ष 20.....

कृषक का
फोटो

पंजीकरण संख्या.....दिनांक.....
(कार्यालय उपयोग हेतु)

सेवामें,

उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद.....

सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) जिला.....

प्रार्थना पत्र:- द्वारा कृषि पर्यवेक्षक/ सहायक कृषि अधिकारी

निवेदन है कि मैं कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनान्तर्गत पीछे अंकित टिक मार्क() साधन लेना चाहता/ चाहती हूँ। कृपया मुझे नियमानुसार अनुदान स्वीकृत करने की कृपा करें। प्रार्थी का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :-

1. नाम.....पुत्र/ पुत्री/पत्नि श्री.....
2. मैं ग्रामपं.स.....तहसील.....जिला.....का रहने वाला/ वाली हूँ।
3. मैंसामान्य/लघु/सीमान्त/अजा/अजजा/महिला कृषक श्रेणी से हूँ।
(जाति/ श्रेणी प्रमाण के लिए पास बुक / जमाबन्दी /प्रमाण पत्र की सत्य प्रति संलग्न है)।
4. मेरे पास सिंचाई का साधन.....कुआँ/नहर/नलकूप/तालाब/ लिपट सिंचाई से है /कोई सिंचाई साधन नहीं है।
5. मेरे पास जल दोहन हेतुविद्युत/डीजल/टैक्टर चालित पम्प सैट उपलब्ध है।
6. मेरे कुए की गहराई.....मीटर है (यह गहराई डिलीवरी पाइप से कुए के पैदे तक की है)।
कुए का जल स्तरमीटर है।
7. मेरे खेत की मिटटी का प्रकारबलुई/दोमट/बलुईदोमट/चिकनी है।
8. मेरे खेत का नजरिया नक्शा निम्नानुसार है:-
उत्तर ' में श्री पुत्र/ पुत्री/पत्नि श्री..... का खेत

पश्चिम में श्री
पुत्र/ पुत्री/पत्नि श्री
का खेत

0 ← कुए की
स्थिति

पूर्व में श्री
पुत्र/पुत्री/पत्निश्रीका खेत

दक्षिण में श्री पुत्र/ पुत्री/पत्नि श्री..... का खेत

घोषणा

मैं शपथ-पूर्वक घोषणा करता हूँ कि :-

1. मैंने पूर्व में आवेदित साधन/आइटम पर पूर्व में कृषि विभाग से कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया है/वर्षमें रु0 अनुदान प्राप्त किया है।
2. अनुदानित संयंत्र/साधन को किसी भी प्रकार खुर्द-बुर्द नहीं करूँगा/ करूँगी।
3. मैंने जिस श्रेणी व जाति के लिए आवेदन किया है, मैं उसी से सम्बद्ध हूँ तथा संलग्न राजस्व रिकार्ड व अन्य प्रमाण पत्र सही है उपरोक्त शतोर की अवहेलना होने पर विभाग मुझसे अनुदान की सम्पूर्ण राशि वसूल करने तथा अन्य वैधानिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

गवाह का नाम एवं हस्ताक्षर

कृषक का नाम एवं हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी

दिनांक

दिनांक

आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

श्री पुत्र/ पुत्री/पत्नि श्री
निवासी..... का प्रार्थना पत्र अनुदान हेतु प्राप्त किया जिसका पंजीयन क्रमांक
.....दिनांक पर अंकित है। अनुदान का भुगतान पात्रता एवं बजट उपलब्धता के आधार पर होगा।

हस्ताक्षर

दिनांक

कृ0प0/स0कृ0अ0 /सहायक/उप निदेशक कृषि (वि0/ जि0प0)

चेक लिस्ट

महत्वपूर्ण ! ध्यान दें !!

1. कृषक नीचे गये दिये उस कार्यक्रम को टिक मार () करें जिस पर वह अनुदान लेना चाहता है।
2. अलग-अलग कार्यक्रम हेतु अलग- अलग आवेदन किया जावे।
3. जो लागू न हो उसे अवश्य काट दें एवं पूर्ण सूचना दें।
4. पूर्ण आवेदन कृ०प०/स०कृ०अ० /सहायक/उप निदेशक कृषि (वि०/ जि०प०) को दें एवं पंजीयन संख्या रसीद प्राप्त करें।

पौध संरक्षण यंत्र :-

1. यंत्र का नाम : -
2. निर्माता/वितरक का नाम : -

पौध संरक्षण रसायन

1. पौध संरक्षण रसायन का नाम व प्रकार-----
2. फसल का नाम
3. प्रभावित क्षेत्र
4. कीट व्याधि का प्रकोप व प्रकार ----
5. पौध संरक्षण रसायन की सिफारिश की गई मात्रा -----

अन्य (विवरण)

निरीक्षण प्रतिवेदन

(अधिकतम 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

योजना- एनएमओओपी/राज्य योजना/एनएफएसएम (दलहन/गेंहू)

1. प्रार्थी आवेदित जाति (अजा/अजजा) / श्रेणी (लघु/सीमान्त/सामान्य) / लिंग (महिला/ पुरुष) के अनुसार सही पाया गया।
2. प्रार्थी आवेदित साधन/ संयंत्र हेतु पात्र है।
3. कृषक का आवेदन पंजीकरण संख्या.....दिनांक.....पर दर्ज कर लिया है।

हस्ताक्षर कृ० पर्य०/स०कृ०अ०/ सहा०/उप निदे०, कृषि
दिनांक